



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1373]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 6, 2018/चैत्र 16, 1940

No. 1373]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 6, 2018/CHAITRA 16, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2018

(आय-कर)

का.आ.1517.(अ)--केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (14) के उपखंड (ii) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2019 को प्रवृत्त होंगे और निर्धारण वर्ष 2019-2020 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 2खख के उपनियम (2) की सारणी में, क्रम सं० 10 के सामने स्तंभ (2) से स्तंभ (4) के नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[अधिसूचना सं.17/2018/फा.सं. 370142/02/2018-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (टीपीएल-2)

टिप्पण--मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. सं. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अधिसूचना संख्या सा.का.नि.332 (अ), तारीख. 03/04/2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।